The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932

No. 684]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 985(अ).—केन्द्र सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8 की उप-धारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और क्षेत्रलिंग) नियमावली, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात

- (1) इन नियमों का नाम सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकर्जिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2010 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेंजिंग और लेबलिंग) नियमावली, 2008 में निम्नेलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- (क) नियम 5 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - "5. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों का चक्रानुक्रमण—तम्बाक् उत्पादों पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख अथवा उससे पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, केन्द्र सरकार द्वारा, निर्यारित अनुसार प्रत्येक दो वर्षों को चक्रानुक्रमण किया जाएगा"
- (ख) अनुसूची में पैरा 2 के लिए, निम्निलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2. विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां निम्नलिखित हैं :—

(1) धूम्रपान किए जाने वाले तंबाकू के पैकों हेतु :--





 चबाए जाने वाले अथवा धुंआरहित तंबाकू उत्पादों के पैकेजों हेतु :—



नोट : इन नियमों के साथ एक सीडी है जिसमें तंबाकू उत्पादों के पैकटों के मुद्रण में शामिल करने हेतु इन स्वास्थ्य चेतावनियों की एक सॉफ्ट कॉपी है।"

[फा. सं. पी-16017/05/2010-पीएच]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

नोट : मुख्य नियम दिनांक 15 मार्च, 2008 की सं. सा.का.नि. 182(अ) के तहत प्रकाशित हुए थे तथा बाद में इन्हें दिनांक 29-9-2008 के सं. सा.का.नि. 693(अ) के तहत और दिनांक 28-11-2008 के सं. का.आ. 2814(अ) के तहत और दिनांक 3-5-2009 के सं. सा.का.नि. 305(अ) के तहत एवं दिनांक 5-3-2010 के सं. सा.का.नि. 176(अ) के तहत तथा दिनांक 17-5-2010 के सं. सा.का.नि. 411(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

4825 GI/2010

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2010

G.S.R. 985(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, sub-section (2) of section 8, section 10 and section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely:—


- 1. (1) These Rules may be called the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2010.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, following shall be substituted, namely:—
- (A) for rule 5, the following shall be substituted, namely:—
 - "5. Rotation of Specified Health Warnings.—The Specified Health Warning on tobacco packs shall be rotated every two years from the date of notification of the rules or earlier, as the case may be, as specified by the Central Government"
- (B) in the Schedule, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:—

- "2. The specified health warnings are-
- (1) For smoking forms of tobacco packs :-





(2) For chewing or smokeless forms of tobacco packages:—



Note:— These rules are accompanied by a CD that contains a soft copy of these health warnings, for inclusion in printing of tobacco product packages."

[F. No. P-16017/05/2010-PH]

B.K. PRASAD, Jt. Secy.

Note:—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 182(E) dated 15th March, 2008 and subsequently amended vide No. G.S.R. 693(E) dated 29-9-2008 and vide No. S.O. 2814(E) dated 28-11-2008 and vide No. G.S.R. 305(E) dated 3-5-2009 and vide No. G.S.R. 176(E) dated 5-3-2010 and vide No. G.S.R. 411(E) dated 17-5-2010.